422 विदेशी कालाधन के मामलों में आयकर विभाग ने नोटिस जारी किए हैं 2019 में। इन मामलों में कुल 12 हजार करोड़ रुपये की रकम का पता चला है। यह जानकारी संसद में दी गई है।

पांच वर्षों में 21 हजार अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश वापस भेजे गए

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सरकार ने लोकसभा में कहा, घुसपैठ के मामलों में आ रही है लगातार कमी
- नित्यानंद बोले, बहुआयामी निगरानी तंत्र से सीमा पर रखी जा रही नजर

लोकसभा में सवाल का जवाब देते नित्यानंद राय। (फाइल)

मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश से घुसपैठ के मामलों में बड़ी गिरावट आई है। सरकार बड़ी संख्या में घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजने में भी सफल रही है। लोकसभा में गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के जवाब में पिछले पांच वर्षों में घुसपैठियों के पकड़े जाने और उन्हें वापस भेजने के आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ को कम करने के लिए बहुआयामी उपाय किए गए हैं।

लोकसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015 से 2019 के बीच पांच वर्षों में 9,145 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 21,348 घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा गया। ये आंकड़े बांग्लादेश की सीमा से घुसपैठ में कमी आने के संकेत देते हैं। वर्ष 2015 में कुल 3,426 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया और 5,930 को वापस भेजा गया। वर्ष 2016 में घुसपैठ करते समय पकड़े जाने वाले और वापस भेजे जाने वालों की संख्या क्रमशः 2,075 और 5,147 हो गई। यह धीरे-धीरे घटकर वर्ष 2019 में क्रमशः 1,351 और 2,175 रह गई।

नित्यानंद राय के अनुसार, घुसपैठ को रोकने में यह सफलता सरकार द्वारा सीमा की निगरानी के लिए बहुस्तरीय व बहुआयामी पद्धति अपनाने के कारण मिली है। इसमें सीमा पर होने वाली हरकतों की 24 घंटे निगरानी के साथ-साथ लगातार पेट्रोलिंग शामिल है। इस दौरान सीमा पर निगरानी पोस्ट की संख्या बढ़ाई गई है, साथ ही रात में घुसपैठ की आशंका वाले स्थानों पर फ्लड लाइट भी लगाई जा रही हैं। राज्य सरकारों के सहयोग से खुफिया तंत्र को भी मजबूत किया गया है। जिन-जिन स्थानों पर बाड़ लगाना संभव नहीं है, वहां सेंसर लगाने के साथ-साथ नाइट विजन कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही रडार की मदद ली जा रही है। एक परिष्कृत कमांड व कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से इस पर नजर रखी जा रही है।

रोहिंग्या की वापसी की प्रक्रिया तेज करने पर बांग्लादेश सहमत

गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि रोहिंग्या के मुद्दे पर बांग्लादेश के साथ उच्चस्तरीय बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश रोहिंग्या को उनके मूलदेश म्यांमार भेजने की प्रक्रिया को तेज करने पर सहमत है। राय ने कहा कि इस बात की भी जानकारी मिली है कि कुछ रोहिंग्या गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हैं।

असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की अंतिम सूची से बाहर बच्चों को राहत

सरकार असम के उन बच्चों को हिरासत केंद्रों में नहीं भेजेगी, जिनके नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की अंतिम सूची में नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनके परिजनों के नाम सूची में हैं। गृह राज्यमंत्री राय ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा, 'भारत के अटॉर्नी जनरल ने 6 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि असम के जिन परिजनों के नाम एनआरसी में हैं, उनके बच्चों को उनसे अलग नहीं किया जाएगा। जब तक उनके आवेदन विचाराधीन हैं, बच्चों को हिरासत केंद्रों में नहीं भेजा जाएगा।'

संसद प्रश्नोत्तर

केवल पीएम को एसपीजी सुरक्षा 56 वीआइपी को सीआरपीएफ

- पूर्व प्रधानमंत्री और उनके साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों को भी मिलती है एसपीजी सुरक्षा

नई दिल्ली, प्रेट्र : केवल प्रधानमंत्री को ही स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) सुरक्षा मिली हुई है जबकि सीआरपीएफ देश के 56 अति महत्वपूर्ण लोगों (वीआइपी) की सुरक्षा में तैनात है। गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में मंगलवार को एक लिखित उत्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि एसपीजी सुरक्षा केवल एक व्यक्ति को मिली हुई है।

हाल ही में एसपीजी अधिनियम में हुए संशोधन के मुताबिक, यह बल प्रधानमंत्री और सरकारी आवास में उनके साथ रहने वाले उनके परिवार के निकटवर्ती सदस्यों की सुरक्षा करता है। यह पूर्व प्रधानमंत्रियों और उन्हें आवंटित आवास में उनके साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों की भी सुरक्षा करता है। पूर्व प्रधानमंत्रियों को पद मुक्त होने की तारीख से पांच साल तक के लिए आवास आवंटित किया जाता है।

केंद्र सरकार ने हाल ही में पांच लोगों से एसपीजी सुरक्षा हटाकर सीआरपीएफ सुरक्षा मुहैया कराई है। इन लोगों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बच्चे राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं।

2017 से नक्सली हिंसा में कमी आई

गृह राज्यमंत्री ने एक अन्य सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि 2017 के बाद से पिछले तीन साल की अवधि में नक्सली हिंसा की घटनाएं और हताहत होने वाले नागरिकों एवं सुरक्षा बल के जवानों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने इस संबंध में आंकड़ा भी मुहैया कराया। केंद्रीय मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़े के मुताबिक, 2017 में 908, 2018 में 833 और 2019 में 670 नक्सली हिंसा की घटनाएं हुईं। इस अवधि में मारे गए नक्सलियों की संख्या में उतार-चढ़ाव है।

44,951 तीर्थयात्रियों ने की करतारपुर साहिब की यात्रा

नवंबर 2019 में मार्ग खुलने के बाद से कुल 44,951 तीर्थयात्रियों ने अब तक पाकिस्तान में स्थित श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा की यात्रा की है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने लोकसभा में इस आशय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डेरा बाबा नानक में अत्याधुनिक इंटिग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग और डेरा बाबा नानक से अंतरराष्ट्रीय सीमा तक फोर लेन राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया है। यह मार्ग पूरे वर्ष तीर्थयात्रियों को बिना बाधा आवाजाही की सुविधा मुहैया कराने के लिए तैयार किया गया है। रेड्डी ने कहा कि तीर्थयात्रियों के पासपोर्ट पर आव्रजन अधिकारी द्वारा मुहर नहीं लगाई जाती है और केंद्र सरकार ने पाकिस्तान सरकार से तीर्थयात्रियों पर कोई शुल्क या अधिभार नहीं लगाने का आग्रह किया है। पाकिस्तान हर भारतीय तीर्थयात्री से 20 अमेरिकी डॉलर (करीब 1400 रुपये) वसूल रहा है।

शाहीन बाग, चांद बाग में चल रहे धरने की लोस में सरकार ने दी जानकारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के शाहीन बाग और चांद बाग में दो सड़कों को प्रदर्शनकारियों ने जाम कर रखा है। सड़क जाम के कारण आम लोगों को हुए नुकसान का आकलन नहीं किया जा सका है।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने मंगलवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि दक्षिण पूर्व दिल्ली में शाहीन बाग में सड़क संख्या 13ए कालिंदी कुंज को प्रदर्शनकारियों ने 15 दिसंबर 2019 से जाम कर रखा है। उसी दिन से शाहीन बाग में सीएए विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए। इसी तरह उत्तर पूर्व दिल्ली में भजनपुरा के समीप चांद बाग में एक सर्विस रोड पर प्रदर्शनकारियों ने 18 जनवरी 2020 से जाम कर रखा है। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस उचित कदम उठा रही है।

टुकड़े टुकड़े गैंग नाम के किसी समूह की सूचना नहीं

लोकसभा में लिखित सवाल का जवाब देते हुए रेड्डी ने कहा कि गृह मंत्रालय को टुकड़े टुकड़े गैंग नाम के किसी समूह के बारे में सूचना नहीं है। कांग्रेस के वीएच पाला और जसबीर सिंह के सवाल के जवाब में गृह राज्यमंत्री ने यह जानकारी दी।

किसी कानून में नहीं है कि सभी दोषियों को एक साथ फांसी दी जाएगी : सरकार

दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड ▶ फांसी पर रोक के खिलाफ दाखिल सरकार की अर्जी पर चारों दोषियों को नोटिस

- तीन दोषियों मुकेश, विनय व अक्षय के कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड के दोषियों की फांसी पर रोक लगाने और सभी को साथ फांसी देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर चारों दोषियों को नोटिस जारी किया है। केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि यह किसी कानून में नहीं है कि सभी दोषियों को एक साथ फांसी दी जाएगी। हाई कोर्ट का यह कहना गलत है कि सभी दोषियों को एक साथ फांसी दी जानी चाहिए। गुनहगारों को फांसी आनंद के लिए नहीं दी जाती है। कानून के तहत सजा पर अमल जरूरी है।

मंगलवार को न्यायमूर्ति आर भानुमति, अशोक भूषण और एएस बोपन्ना की पीठ ने तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद दोषियों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि दोषियों को आज ही यह नोटिस जेल सुपरिंटेंडेंट के जरिये दिया जाएगा। मामले पर 13 फरवरी को फिर सुनवाई होगी। याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि हाई कोर्ट का यह कहना कि सभी दोषियों को एक साथ फांसी दी जाएगी, गलत है। जिन दोषियों के सारे कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं, उन्हें फांसी देने की इजाजत दी जाए। याचिका पर बहस करते हुए मेहता ने कहा कि दोषियों को कानूनी विकल्प अपनाने के लिए एक सप्ताह की अवधि मंगलवार को समाप्त हो रही है। लेकिन दोषियों ने कोई कदम नहीं उठाया है। चार दोषियों में तीन मुकेश, विनय और अक्षय के सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं। चौथे दोषी पवन ने अभी तक क्यूरेटिव और दया याचिका दाखिल नहीं की है। मेहता ने कहा कि किसी को कानूनी विकल्प अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

तुषार मेहता ने कहा, लोगों का व्यवस्था से विश्वास उठने लगा है : मेहता ने कहा कि जिनके विकल्प समाप्त हो चुके हैं उनकी फांसी की सजा पर अमल की इजाजत मिलनी चाहिए। एक दोषी का कुछ न करना अन्य के लिए मददगार नहीं होना चाहिए। दया याचिका हर दोषी के व्यक्तिगत कारणों और आधारों पर निपटाई जाती है। उसका सभी दोषियों से या मुख्य मामले से कोई लेना-देना नहीं होता। इस मामले में चारों दोषियों को सुप्रीम कोर्ट तक से 2017 में फांसी की सजा हो चुकी है। लेकिन दोषी लगातार कानूनी पेचों का फायदा उठाकर सजा में देरी कर रहे हैं। मेहता ने दुष्कर्म के आरोपितों के हैदराबाद में पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने का उदाहरण देते हुए कहा कि वह उस घटना को सही नहीं ठहरा रहे। लेकिन, उस घटना पर लोगों ने खुशी मनाई थी। यह दर्शाता है कि लोगों का व्यवस्था से विश्वास उठने लगा है।

नया डेथ वारंट जारी कराने के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट

सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म कांड के दोषियों को कानूनी विकल्प अपनाने के लिए हाई कोर्ट द्वारा तय की गई एक सप्ताह की समयसीमा समाप्त होने पर केंद्र सरकार को फांसी की नई तारीख तय कराने के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि यहां याचिका लंबित रहने का ट्रायल कोर्ट के विचार करने पर असर नहीं पड़ेगा। ट्रायल कोर्ट मेरिट के आधार पर फैसला लेगा।

विनय ने याचिका दाखिल कर राष्ट्रपति के आदेश को दी चुनौती

दोषी विनय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ने जल्दबाजी में याचिका निपटाई है। याचिका निपटाने में तय प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले दोषी मुकेश ने भी राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी थी लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी।

निर्भया के परिजनों ने डेथ वारंट के लिए दायर की याचिका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : निर्भया दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने की मांग को लेकर निर्भया के परिजनों एवं दिल्ली सरकार की तरफ याचिका दायर की गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने याचिका पर सभी दोषियों को नोटिस जारी कर सुनवाई को बुधवार के लिए स्थगित कर दिया। निर्भया के परिजनों ने अदालत में कहा कि सभी दोषी कानून का मजाक बना रहे हैं।

निर्भया के स्वजनों व दिल्ली सरकार की तरफ से आवेदन तब दाखिल किया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी करने के संबंध में प्राधिकारियों को निचली अदालत में संपर्क करने की अनुमति दी। इसके साथ ही तिहाड़ जेल प्रशासन ने मंगलवार को निचली अदालत में बताया कि कानूनी उपचार के इस्तेमाल के लिए हाई कोर्ट द्वारा 5 फरवरी को स्वीकृत किए गए एक सप्ताह की समय-सीमा के दौरान दोषियों द्वारा किसी भी कानूनी उपचार का प्रयोग नहीं किया गया। निचली अदालत ने चारों दोषियों के नया डेथ वारंट जारी करने की मांग करते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन व दिल्ली सरकार द्वारा दायर आवेदन को 7 फरवरी को खारिज कर दिया था। निचली अदालत ने 31 जनवरी को अगले आदेश तक डेथ वारंट पर रोक लगा दी थी। निचली अदालत के इस फैसले को गृह मंत्रालय ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 5 फरवरी को गृह मंत्रालय की याचिका को खारिज करते हुए दोषियों को कानूनी उपचार एक सप्ताह में पूरी करने का आदेश दिया था।

रास सदस्यों का आरोप, एससी-एसटी कल्याण के लिए आवंटन अपर्याप्त

नई दिल्ली, प्रेट्र : राज्यसभा में सदस्यों ने मंगलवार को एससी-एसटी समुदाय के कल्याण के लिए अपर्याप्त बजट आवंटन का मुद्दा उठाया। नामित सदस्य नरेंद्र जाधव ने बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा, 'एससी-एसटी कल्याण के लिए ज्यादा प्रावधान होना चाहिए था क्योंकि बजट में सिर्फ 83,257 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो पिछले बजट के मुकाबले सिर्फ 2.35 फीसद अधिक हैं। महंगाई के मद्देनजर यह बढ़ोतरी शून्य है।' आइयूएमएल के अब्दुल वहाब ने कहा, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया गया है, बजट में उनकी पूरी तरह अनदेखी की गई है। रुपये का अवमूल्यन बड़ी चिंता का विषय है।

कांग्रेस की अमी याज्ञनिक ने कहा, 5,000 दौलतमंद लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। स्किल इंडिया अभियान विफल हो चुका है क्योंकि छह करोड़ माइक्रो इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं और सरकार विकास के फर्जी आंकड़े उपलब्ध करा रही है। कांग्रेस के ही मुहम्मद अली खान ने कहा कि वर्तमान शासन में क्षेत्रीय सरकारें कमजोर हुई हैं। भाजपा के केजे अल्फोंस ने बजट को समग्र बताते हुए कहा, सरकार के प्रयासों से प्राइमरी स्तर पर लड़कियों का नामांकन 93 फीसद, हाई स्कूल स्तर पर 83 व हायर सेकेंडरी स्तर पर 53 फीसद हो गया है।

उत्तराखंड में कैबिनेट में हो सकती है पदोन्नति में आरक्षण मामले पर चर्चा

राज्य ब्यूरो, देहरादून

उत्तराखंड में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद से प्रदेश की राजनीति में उबाल है। संभवतया यही वजह रही कि मंगलवार को भी शासन ने पदोन्नति पर रोक हटाने के संबंध में कोई फैसला नहीं लिया। माना जा रहा है कि अब बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति पर रोक और सीधी भर्ती में रोस्टर प्रक्रिया के संबंध में चर्चा होगी। इसके बाद ही पदोन्नति पर रोक हटाने के संबंध में कोई निर्णय लिया जा सकता है।

प्रदेश में इस समय पदोन्नति में आरक्षण को लेकर कर्मचारी संगठन आमने-सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद यह उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार जल्द पदोन्नति पर लगाई गई रोक हटा देगी। सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी होने की उम्मीद थी।

इस बीच सोमवार को यह मामला संसद में भी उठा, जिससे मुद्दा और गर्मा गया। मंगलवार को भी कर्मचारी इस मसले पर शासन की ओर टकटकी लगाए रहे, लेकिन देर शाम तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीते रोज ही इस मामले का अध्ययन करने के बाद निर्णय लेने की बात कह चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बुधवार को सचिवालय में होने वाली कैबिनेट की बैठक में यह मसला प्रमुखता से रखा जा सकता है और इस पर चर्चा होगी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद पदोन्नति से रोक न हटने पर कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण व पदोन्नति पर रोक हटाने के विषय आपस में जुड़े हुए हैं। इस पर कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक की गई है। अधिकारियों से भी इस विषय में विमर्श किया गया है। सरकार इस विषय पर विस्तृत चर्चा के बाद कोई निर्णय लेगी।

केंद्रीय मंत्री गहलोत के खिलाफ कांग्रेस ने दिया विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि आरक्षण मुद्दे पर बयान के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत के खिलाफ कांग्रेस ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव उनके विचाराधीन है।

कांग्रेस ने सोमवार को गहलोत पर आरक्षण के मुद्दे पर लोकसभा को गुमराह करने का आरोप लगाया था और कहा था कि वह उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस ने कहा था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म करने की मोदी सरकार की साजिश को बेनकाब करने के लिए वह जिला स्तर पर आंदोलन करेगी।

सरकार ने सोमवार को लोकसभा को सूचित किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि राज्य सरकारें नियुक्तियों में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं हैं, उसमें वह कोई पक्ष नहीं है। लोकसभा में बयान देते हुए गहलोत ने कहा था कि केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर हलफनामा तक दाखिल करने के लिए नहीं कहा गया था।

वर्ष 2000 के बाद हर अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया भारत का दौरा

प्रथम पृष्ठ से आगे

बिल क्लिंटन से पहले तक अमेरिकी राष्ट्रपतियों की भारत के आधिकारिक दौरे पर आने की परंपरा नहीं थी। वर्ष 2000 में क्लिंटन के भारत आने के बाद से वहां के सभी राष्ट्रपति नई दिल्ली आ चुके हैं जो अमेरिकी कूटनीति में भारत की बढ़ती साख को भी बताता है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दो बार भारत की यात्रा की थी। अंतिम बार वह वर्ष 2015 में गणतंत्र दिवस समारोह में राजकीय मेहमान भी थे।

भारत के लिए क्या लेकर आ सकते हैं ट्रंप : अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यात्रा के दौरान यूं तो कई समझौते होने के आसार हैं। लेकिन दो रक्षा सौदों और एक कारोबारी समझौते पर सबकी नजर लगी है। ट्रंप प्रशासन ने भारत को एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (आइएडीडब्लूएस) बेचने के अपने फैसले की संसद को पहले ही जानकारी दे दी है। 1.9 अरब डॉलर (लगभग 13000 करोड़ रुपये) के इस सौदे पर ट्रंप की यात्रा के दौरान मुहर लग सकती है। अमेरिका से नौ सेना के लिए दो दर्जन सीहॉक हेलीकॉप्टर खरीदने के समझौते पर भी हस्ताक्षर हो सकता है। यह सौदा लगभग 2.6 अरब डॉलर (18000 करोड़ रुपये) का है। एक समझौता कारोबार के क्षेत्र में करने की तैयारी है जो भारत व अमेरिका के बीच मौजूदा कारोबारी तनाव को दूर करने में मदद करेगा। सितंबर, 2019 में जब मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे तभी इस समझौते पर काफी बात हुई थी। सूत्रों के मुताबिक यह एक सीमित दायरे वाला ट्रेड एग्रीमेंट होगा जो कई तरह के अमेरिकी उत्पादों पर लगे प्रतिबंधों में रियायत देगा।

ट्रंप की यात्रा के मायने

वाशिंगटन, प्रेट्र : ट्रंप की यात्रा के कई मायने हैं। भारत-अमेरिकी रिश्तों और दक्षिण एशिया के मामलों के विशेषज्ञों की माने तो ट्रंप की यात्रा दोनों देशों के संबंधों को मजबूती देने का काम तो करेगी ही, क्षेत्रीय ताकतों को भी एक संदेश देगी। यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष मुकेश अघी के मुताबिक, पिछले तीनों अमेरिकी राष्ट्रपति भारत गए थे। इसलिए क्षेत्र को यह संदेश देना जरूरी था कि भारत अमेरिका का अहम साथी है और ट्रंप उसे अहमियत देते हैं। दक्षिण चीन सागर व प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक व्यवस्था बनाए रखने में भी अमेरिका भारत को अहम मानता है।

अश्लील बाल सामग्री पर रोक को इंटरनेट कंपनियों से होगी बात

नई दिल्ली, एएनआइ : केंद्र सरकार इंटरनेट पर अश्लील बाल सामग्री, जिसमें तस्वीरें और वीडियो शामिल है, के प्रसारण को रोकने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों और दूसरे पक्षकारों के साथ बैठक करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी।

प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर चार हफ्ते बाद सुनवाई करने का फैसला किया। इस दौरान केंद्र सरकार गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक व अन्य पक्षकारों के साथ बैठकें कर इंटरनेट पर अश्लील सामग्रियों के प्रसारण को रोकने के उपाय तलाश करेगी। अदालत 2015 में हैदराबाद स्थित एनजीओ प्रज्वला द्वारा भेजे गए पत्र में उठाए गए मामले पर सुनवाई कर रही थी। एनजीओ ने पत्र के साथ पेन ड्राइव में बच्चों के साथ दुष्कर्म के दो वीडियो भी भेजे थे।

एक पक्षकार की वकील अपर्णा भट ने कोर्ट को बताया कि सरकार तब एक पोर्टल लेकर आई थी, लेकिन सितंबर के बाद से सरकार ने पक्षकारों और इंटरनेट मुहैया कराने वाली कंपनियों के साथ कोई बैठक नहीं की है। सरकार ने यह पोर्टल इंटरनेट पर अश्लील बाल सामग्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए शुरू किया था।

सरकार बोली

गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी लोकसभा में कही यह बात, विपक्ष ने पूछा था सवाल- भारतीय प्रतिनिधिमंडल को घाटी में जाने की कब मिलेगी इजाजत

'भारतीयों के जम्मू-कश्मीर जाने पर रोक नहीं'

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने मंगलवार को संसद को बताया कि किसी भी भारतीय नागरिक के जम्मू-कश्मीर जाने पर कोई रोक नहीं है। गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी लोकसभा में उस सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें यह पूछा गया था कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल को जम्मू-कश्मीर जाने की इजाजत कब दी जाएगी।

- जम्मू-कश्मीर की स्थिति के बारे में दूसरे देशों की समझ बेहतर हो इसीलिए राजनयिकों ने किया था दौरा
- इस दौरान उन्होंने प्रदेश के राजनेताओं, सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों, विभिन्न समुदायों के युवाओं से की थी बात, माना था सबकुछ है सामान्य

लोकसभा में बोलते केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी। (फाइल)

विदेशी राजनयिकों के जम्मू-कश्मीर दौरे को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा, 9-10 जनवरी के उनके दौरे का आयोजन विभिन्न देशों के दूतावासों और उच्चायोगों के आग्रह पर किया गया था। इसका उद्देश्य था कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की मौजूदा स्थितियों के बारे में दूसरे देशों की समझ बेहतर हो। 15 देशों के राजनयिकों ने जम्मू-कश्मीर के नागरिक प्रशासन, राजनेताओं, सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों, विभिन्न समुदायों के युवाओं, धार्मिक और सामाजिक-आर्थिक समुदायों, कश्मीर की मुख्यधारा के मीडियाकर्मियों और विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान महसूस किया कि जम्मू-कश्मीर में सबकुछ सामान्य है।

वर्ष 1947 के बाद गुलाम कश्मीर से भारत आए 31,619 विस्थापित परिवार : वर्ष 1947 के बाद से अलग-अलग मौकों पर गुलाम कश्मीर से कुल 31,619 विस्थापित परिवार भारत आए और तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य में बस गए। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने लोकसभा में बताया कि शुरुआत में जम्मू-कश्मीर में आने वाले ऐसे परिवारों की संख्या 5,300 के आसपास थी, जो बाद में देश के दूसरे राज्यों में फैल गए। भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान वर्ष 1965 व 1971 में सीमा पार के छंब नायबात से आए कुल 10,065 विस्थापित परिवारों का पंजीकरण किया गया। गुलाम कश्मीर व छंब से आए इन विस्थापित परिवारों को केंद्र और तत्कालीन जम्मू-कश्मीर सरकार की तरफ से राहत व पुनर्वास पैकेज मुहैया कराया जाता रहा है। उन्हें भूमि, प्लॉट और क्वार्टर के अलावा आर्थिक मदद भी दी गई।

वेंकैया नायडू बोले, सदन की सेहत के लिए जारी किया गया व्हिप

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा द्वारा व्हिप जारी करने के बाद अटकलों पर विराम लगाते हुए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को कहा कि व्हिप सदन की सेहत के लिए जारी किया गया। सामान्य तौर पर बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन सदस्यों की उपस्थिति बहुत कम होती है। यदि पूरे सत्र के दौरान नियमित रूप से व्हिप जारी किया जाए, तो मुझे खुशी होगी। इससे सांसद सदन में मौजूद रहेंगे।

सदन की बैठक शुरू होने पर नायडू ने कहा कि आज कोई विधेयक नहीं लिया जाएगा। सदन में केवल बजट पर चर्चा होगी और बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब देंगी। संसद के बजट सत्र का पहला चरण मंगलवार को संपन्न हो गया। दोनों सदनों को दो मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक अब दो मार्च से तीन अप्रैल तक होगी, जिसमें केंद्रीय बजट को पारित किया जाएगा।

कह के रहेंगे

माधव जोशी